बी० एड० प्रथम वर्ष

विषय – समसामयिक भारत में शिक्षा

(Contemporary Education In India)

प्रकरण –

राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

भारतीय शिक्षा के विकास को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए 1948 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने एक "अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन" का आयोजन किया। इस शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन पं० नेहरू ने किया। पं० नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षा के सम्पूर्ण आधार का परिवर्तन किया जाना चाहिए। जिसके लिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहला शिक्षा आयोग शिक्षा आयोग गठित किया गया। जिसे 'राधाकृष्णन आयोग' या 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' कहा जाता है।

चूंकि यह आयोग भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति "डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन" की अध्यक्षता में गठित किया गया और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है। यह आयोग 4 नवम्बर 1948 को नियुक्त किया गया था इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जाँच करना और तत्कालीन समस्याओं

Scanned with CamScanner

का पता लगाकर इसके सन्दर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था।

जाँच के जो विषय थे वे निम्न थे—

तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना।

प्रशासन और वित्त के बारे सुझाव देना।

उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना।

उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना।

उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना।

विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना।

विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना।

डॉ० राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये और उनमें सुधार के लिए ठोस सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं—

शिक्षा के लक्ष्य—

Scanned with CamScanner

* आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना।
* लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना।
* वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना
* व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना
* ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहजक्षमता को जगाना।
* कुछ मूल्यों को विकसित करना

शिक्षण संकाय

*आयोग के अनुसार शिक्षकों को चार श्रेणी में विभाजित किया जाय - प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और प्रशिक्षक
* योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में पदोन्नती की जाय।
* आयोग ने चारो श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा सर्तें जैसे - भविष्य निधि, आवासीय आवास काम के घंटे छुट्टी आदे के लाभ की सिफारिश की।